

218116
51418

अशिलित अपराध / अपराध शक्ति के संबंध में दल
कागजातों के साथ जमाबन्दीदार को पितांक 218116 के
जमाबन्दीदार में अपराध होने हेतु नोटिफिकेशन किया गया।
उक्त नोटिफिकेशन के आदेश में जमाबन्दीदार के पता पर
अपराध होने केवल एक वर्ष 1966 का मात्रा (सीड
की धारा 31 प्रकृत) किया गया, जो उक्त अपराध शक्ति से
दावे हेतु अपराध नहीं है, तथा संबंधित 30 मिनट एवं 30
मिनट के प्रकृतियां किया है कि उक्त अपराध शक्ति सर्वे अंशगत
के अंशगत और आबाद वाले में शक्ति है, जहां उक्त जमाबन्दी
को रद्द करने का अंशगत किया है, ऐसी परिस्थिति
में जमाबन्दीदार को एक मोका देते हुए प्रकृत जमाबन्दीदार
को उक्त अपराध के दावे के संबंधित होना बाधकों की
सहायता के साथ जमाबन्दीदार में अपराध होने हेतु नोटिफिकेशन
निकालें, तथा अशिलित पितांक 204118 को रत्ते।

25.04.18

अंचल अधिवक्ता
बिमलपुर

204118

अशिलित अपराध / जमाबन्दीदार की ओर से
उक्त पता पर अपराध होने अपराध शक्ति के संबंधित
एक प्रकृतियां धारा की धारा 31 तथा वर्ष 1966 से
1977 तक का मात्रा (सीड की धारा 31 प्रकृत) किया है।
उक्त धारा अपराध शक्ति का पता कोई कागजात प्रकृत
नहीं किया है, जो अपराध शक्ति के दावे की पुष्टि करता है।
अतः ऐसी परिस्थिति में उक्त जमाबन्दी
को रद्द करने की अंशगत की जा रही है।
अंशगत कागजात हेतु अशिलित अपराध शक्ति प्रकृत
उक्त जमाबन्दी धारा के अंतर्गत।

25.04.18

अंचल अधिवक्ता
बिमलपुर

अंचल अधिकारी का कार्यालय, बलियापुर (धनबाद)।

वाद अभिलेख संख्या 505 / 2016 (अन्तर्गत धारा-4(b), ULR Act, 1950)

सूचना

वन्म गुणिका शंकरादेश
पति - गुणिका शंकरा
पता बलियापुर

आद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा बलियापुर मंजो नं. 183
खता नं. 98 प्लॉट नं. 033 से संबंधित आपके नाम से इल्का नं. 033 के राजस्व कर्मचारी
ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से खोंवरान्त साक्ष्य प्रतिकेवित किया है।

अतएव अब उक्त संबंध में दिनांक 29/8/16 को समय 11:00 बजे पूर्वाह्न में उक्त
भूमि का रिटर्न 1, भूमि बन्दोबस्ती से संबंधित दस्तावेजनामा, भूपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी
रसीदों, फार्म M एवं सरकार में जमींदारी निर्गत होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत जमींदारी
रसीदों, निर्गत पखाना एवं अन्य लेख साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त
भूमि पर दावे की गुरि काला हो, के साथ खोंवरान्त भरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित
होकर अपना पत्र प्रस्तुत करें।

सन्दर्भ रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं
कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए दर्ज
जमाबन्दी के संबंध में मुक्ति-मुक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुश्रुति कर दी जायेगी।

इसे सूखा ताकीद जानें।

जयशंकर अहला

बलियापुर
अंचल अधिकारी,
बलियापुर।
29/8/16

गोविन्द ताम्रिदा चीफा
जयशंकर सपुत्र शंकरा
29/8/16